

कार्यालय कलेक्टर रायपुर  
// सार्वजनिक सूचना //

कमॉक 303/ भू अर्जन/2017

रायपुर दिनांक 22/2/2018

कार्यपालन अभियन्ता लोक निर्माण विभाग सेतु विभाग संभाग रायपुर द्वारा ग्राम शंकरनगर में शंकरनगर - व्ही. आई.पी. कालोनी मार्ग पर रायपुर टिटलागढ रेल लाइन के कि.मी. 4/10 पर रेलवे ओव्हर ब्रिज का निर्माण के एकरेखण में स्थित निम्न लिखित भूमि स्वामी की निजी भूमि को आपसी सहमती से भूमि कय नीति 2016 के तहत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। संबंधित निम्न भूमि स्वामी से प्रारूप ख में राज्य सरकार के पक्ष में भूमि विक्रय करने की सहमति प्राप्त की गई।

क्रम	भूमिस्वामी / पता	खसरा नम्बर	कय की जाने वाली भूमि का रकबा
1	2	3	4
1	यास्मिन बानों पति मोहम्मद अकबर निवासी मोहदापारा तहसील रायपुर	207/48, 211/2	80.25 वर्गमीटर
2	अध्यक्ष जनता गृहनिर्माण सहकारी समिति शंकर नगर तहसील रायपुर	210	182.00 वर्गमीटर
3	अध्यक्ष जनता गृहनिर्माण सहकारी समिति शंकर नगर तहसील रायपुर	207/17, 211/1	360.14 वर्गमीटर

उक्त सूचना जारी दिनांक 22/2/2018 से 15 दिवस तक किसी भी व्यक्ति द्वारा उक्त भूमि से संबंध किसी प्रकार की स्वत्व के संबंध में आपत्ति हो तो लिखित में कार्यालय कलेक्टर रायपुर में प्रस्तुत किया जा सकता है। 15 दिवस के पश्चात प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

कलेक्टर,

रायपुर (छ0ग0)

रायपुर दिनांक 22/2/2018

पृ0क0 कमॉक 303/ भू अर्जन /2017  
प्रतिलिपि:-

- 1:- सचिव, छ0ग0शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय नया रायपुर जिला रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2:- आयुक्त, रायपुर संभाग रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
- 3:- कार्यपालन अभियन्ता लोक निर्माण विभाग सेतु विभाग संभाग रायपुर को सूचनार्थ। एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। प्रकाशन पश्चात पेपर की प्रति उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 4:- आयुक्त, नगर पालिक निगम रायपुर को सूचनार्थ। अपने अधिनस्थ के माध्यम से सूचना पटल पर चस्पा कर प्रदर्शित कराये जाने हेतु अग्रेषित।
- 5:- अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू अर्जन अधिकारी रायपुर अपने अधिनस्थ के माध्यम से सूचना पटल पर चस्पा कर प्रदर्शित कराये जाने हेतु अग्रेषित।
- 6:- उप संचालक जन सम्पर्क विभाग को सूचनार्थ। उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन एक स्थानीय एवं एक राज्य स्तरीय समाचार में तत्काल प्रकाशन हेतु अग्रेषित।
- 7:- प्रभारी अधिकारी एन.आई सी रायपुर वेबसाइट पर अपलोड हेतु अग्रेषित।
- 8:- तहसीलदार रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। सूचना प्रकाशन जिला कार्यालय अनुविभाग कार्यालय एवं नगर पालिका निगम, ग्राम शंकरनगर ग्राम के पंचायत के सूचना पटल में अपने अधिनस्थ से करवा कर रिपोर्ट भेजना सुनिश्चित करें।

कलेक्टर,

रायपुर (छ0ग0)